न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

अतिक्रमण वाद सं0–01/2005

झारखण्ड सरकार
बनाम
मो0 नसीम

आदेष की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21.09.2012	**आदेश** यह अतिक्रमण वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के अतिक्रमण वाद सं0–01/96–97 में दिनांक 04.10.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर आर0एम0ए0 वाद सं0–36/2002 में दिनांक 27.06.2005 को पारित आदेश के आलोक विपक्षी के विरूद्ध लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम– 1956 की धारा 3(I)(बी) के तहत कार्रवाई हेतु अतिक्रमण वाद सं0–01/2005 तत्कालीन उपायुक्त के द्वारा प्रारंभ की गई है। वर्त्तमान मामले को निम्न न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और वाद सं0–01/96–97 में 04.10.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध वर्त्तमान न्यायालय में अपील हुआ था इसलिए वर्त्तमान पीठासीन पदाधिकारी अब निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते है। अतिक्रमण से संबंधित कार्रवाई हेतु अभिलेख तथा आर0एम0ए0 वाद सं0–36/2002 में दिनांक 27.06.2005 को पारित आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को उनके स्तर से कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। उ पा यु क्त, पाकुड़। उ पा यु क्त, पाकुड़।	

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.10 15:30:18 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner